निर्णय व ईजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 45/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1 नाथूराम मौर्य पुत्र श्री डालचन्द रेगर जाति रेगर निवासी कल्लावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राजस्थान हाल आबाद ग्राम तूंगा तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. नीरज कुमार मीणा पीठासीन अधिकारी न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ।
2. सुरेश पुत्र रामसहाय
3. भागोती पत्नी रामसहाय
4. इन्द्रा पुत्री रामसहाय
5. उगन्ती पुत्री रामसहाय
6. ममता पुत्री रामसहाय
7. रेशमा पुत्री रामसहाय
8. विमला पुत्री रामसहाय
9. रोशनी पुत्री रामसहाय
10. सूरज पुत्र रामसहाय

समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 55/2020 व उनवानी सुरेश कुमार व अन्य बनाम नाथूराम व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने।

उपस्थित:-

1 श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

2 श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 03.09.2020

1 संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 76/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 55/2020 व उनवानी सुरेश कुमार व अन्य बनाम नाथूराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 दिनांक 25.07.2020 को भूमि वादग्रस्त पर आये तथा प्रार्थी को एतमिया यह धमकी दी कि हमारी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है हम शीघ्र ही उक्त जमीन पर स्थगन आदेश जारी कर तुम्हे बेदखल करेंगे तथा जमीन पर कब्जा करेंगे, तुम्हे जो करना है सो कर लो । मैंने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 से निवेदन किया कि तुम्हारा भूमि वादग्रस्त पर कोई

जिला कलक्टर
जयपुर

कब्जा नही है तुमने व तुम्हारे पूर्वजों ने अपना हिस्सा 1/4 पर दिगर लोगों के मकान बना दिये, उनके नाम विक्रय पत्र पंजीबद्ध नही करवाये और अब आप लोग मेरे हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो यह सरासर गलत है । मै राजकीय कर्मचारी हू तथा आप लोगों से झगडा फसाद नही कर सकता। आप कृपया शान्ति बनाये रखे, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 ने एलानिया यह कहा है कि राजस्व न्यायालय में क्या होता है आपको पता नही है । हमने दावा दायर करने से पहले ही न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है और हम शीघ्र ही स्टे आदेश प्राप्त कर तुम्हे बेदखल करेंगे। अप्रार्थीगण की उक्त बेजा कार्यवाही के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्याय हित में जरूरी है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नही है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। उपखण्ड मुख्यालय बस्सी पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 55/2020 व उनवानी सुरेश कुमार व अन्य बनाम नाथूराम व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में मुन्तकिल किया जाता है।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर) 3/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर